# फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– मथुरादास | विपक्षी :– किशनसिंह
किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 114/23
क्रमांक

### कार्यवाही विवरण

दिनांक : 27.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपक्षकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 2, 3, 5 से 10 अनुपस्थित। आवाज दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2, 3, 5 से 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 11 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जातई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदारो की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थीगण सीमांकन कराना चाहते है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

## –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा दौलतपुरा पटवार हल्का सालेडा, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 38 की आराजी नम्बर 234, 325, 236, 291, 294, 295, 296 किता 7 रकबा 1. 2400 हक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जाए। पत्थरगढी हेतु तहसीदार कानोड को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्राबली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedya
Date: 2024.06.13 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर